राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2415, 2418, 2419, 2420 व 2421/2007/जयपुर

मै0 ए वन मार्बल्स प्रा.लि.,
सी–175ए रोड नं0–9जे विश्वकर्मा क्षेत्र, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–तृतीय, वृत–ई, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल–सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी0 कुमार,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद,उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 23.12.2015

अपीलार्थी द्वारा ये सोलह अपीलें उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 31.05.2007 व 21.06.2007 के विरूद्ध, राजस्थान विक्रय अधिनियम, 1994 की धारा 84 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

इन सभी सोलह अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण, इनका निष्पादन एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के मूल कर निर्धारण आदेश आर.एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत पारित किये गये थे जिसमें बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 (जिसे आगे **"प्रोत्साहन योजना"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत छूट दी गई थी। व्यवसायी को सक्षम छानबीन समिति द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन के कम में पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक 1/88 जेपीई दिनांक 12.07.91 जारी कर रूपये 37,97,337/– की सीमा तक कर की छूट स्वीकृत की गई थी। अपीलार्थी व्यवहारी ने उक्त योजना का लाभ वर्ष 1998–99 तक प्राप्त किया एवं आगे उत्पादन एवं बिक्री बन्द कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी ने प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त अगले पॉच वर्षो में औसत उत्पादन कायम नहीं रखकर योजना के क्लॉज 4(ई)(1) का उल्लंघन किया। उक्त उल्लंघन पर विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (प्रतिकरापवंचन) राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश कमांक प. 1()एसीसीटी/एई/बिक्री कर/प्रोत्साहन/2003/131 दिनांक 16.05.2005 द्वारा

लगातार.....2

प्रोत्साहन योजना 1987 के क्लॉज 9(बी) के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किये गये लाभ को निरस्त कर दिया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी को विधिसम्मत कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना एफ.4(35) एफ.डी.आर.4/87 दिनांक 23.5.87 के क्लॉज 4(ई)(1) का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–ई,जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने प्रोत्साहन योजना के क्लॉज 9(बी) के अन्तर्गत "As if there was no exemption and there was escapement of tax" की परिधि में आने से अधिनियम,1994 की धारा 30 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किये। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, उन्होंने अपने पृथक–पृथक आदेशों के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा द्वितीय अपीलें पेश की गई है जिनका विवरण निम्न तालिकानुसार दर्शाया जा रहा हैं :–

अपील सं0	अपीलीय अधिकरी के अपील सं. व आदेश	क.नि. आदेश	वर्ष	कर	ब्याज
2406/07	34/RST/31.05.2007	05.10.2005	1995–96	80,282/–	1,70,197/–
2407/07	32/RST/31.05.2007	05.10.2005	1994–95	1,57,608/–	5,29,562/–
2408/07	31/RST/31.05.2007	05.10.2005	1993–94	34,096/–	1,22,746/–
2409/07	54/RST/21.06.2007	05.10.2005	1992–93	70,111/–	1,99,116/–
2410/07	39/RST/31.05.2007	05.10.2005	1997–98	42,815/–	70,216/–
2411/07	36/RST/31.05.2007	05.10.2005	1996–97	44,988/–	84,577/–
2412/07	40/RST/31.05.2007	05.10.2005	1998–99	143/–	200/–
2413/07	29/RST/31.05.2007	05.10.2005	1991–92	50,608/–	1,55,872/–
2414/07	53/CST/21.06.2007	05.10.2005	1991–92	2,27,599/–	7,01,006/–
2415/07	30/CST/31.05.2007	05.10.2005	1992–93	3,77,771/–	10,72,870/–
2416/07	55/CST/21.06.2007	05.10.2005	1993–94	3,40,933/–	08,86,426/–
2417/07	33/CST/31.05.2007	05.10.2005	1994–95	3,15,488/–	07,44,551/–
2418/07	35/CST/31.05.2007	05.10.2005	1995–96	3,18,265/–	06,74,722/–
2419/07	37/CST/31.05.2007	05.10.2005	1996–97	5,70,682/–	10,72,881/–
2420/07	41/CST/31.05.2007	05.10.2005	1998–99	32,603/–	45,644/–
2421/07	38/CST/31.05.2007	05.10.2005	1997–98	02,85,013/–	04,67,421/–

अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कर निर्धारण आदेश विद्वान अतिरिक्त आयुक्त प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जयपुर द्वारा योजना के क्लॉज 9बी के तहत पारित आदेश दिनांक 16.05.2005 जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी को दिये गये प्रोत्साहन लाभ दिनांक 06.07.1991 से वापिस लिये जाने के निर्देश दिये थे, के क्रम में उपरोक्त तालिकानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित करने

लगातार.....3

के आदेश पारित किये गये है। उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई। जिनको अपीलीय अधिकारी ने अनिवार्य जमा राशि जमा नहीं कराने के आधार पर निरस्त कर दिया गया।

विद्वान अतिरिक्त आयुक्त के निर्णय दिनांक 16.05.2005 के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर दिया गया निर्णय दिनांक 19.07.2006, जो कि टैक्स अपडेट वोल्यूम 16 पार्ट–प्रथम पेज 39 पर साया है जिसमें विद्वान अतिरिक्त आयुक्त का आदेश दिनांक 16.05.2005 को निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। जिनको कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर सृजित मांग राशि उनके द्वारा अपास्त कर दी गई। परन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें उनके द्वारा वांछित अनिवार्य राशि जमा नहीं करवाने के कारण प्रस्तुत अपीलें खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध हस्तगत अपीलें राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ लम्बित है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि योजना के प्रश्नगत क्लॉज 4 (e)(i) में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.04.2007 द्वारा संशोधन किये जाने के फलस्वरूप उक्त क्लॉज में उपबंधित शर्ते राज्य सरकार द्वारा वापिस लिये जाने के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ द्वारा मैसर्स त्रिपुरा सीमेंट लि0 बनाम राज्य सरकार टैक्स अपडेट वोल्यूम 20 पार्ट 4 पृष्ठ 182 में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश जिसके फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उल्लंघन पर मांग सृजित की गई को निरस्त कर दिया गया है, अतः हस्तगत अपीलें स्वीकार योग्य हैं।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त के निर्णय की पालना में पारित किये गये उक्त आदेश को राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ही अपील में दिये गये निर्णय टैक्स अपडेट वोल्यूम 16 पार्ट–प्रथम पेज 39 आदेश दिनांक 19.07.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अतः विद्वान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा योजना के अन्तर्गत क्लॉज 9बी के तहत स्कीम के उपबंधों के उल्लंघन पर मांग सृजित करने के आदेश, जो सक्षम अधिकारी (अतिरिक्त आयुक्त) के आदेश दिनांक 16.05.2005 को राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण मांग सृजन का आधार ही खत्म हो जाने से अपीलीय अधिकारी के आदेश का कोई औचित्य नहीं ठहरता है। यह भी ज्ञात्वय है कि योजना के क्लॉज 4 (e)(i) की शर्तो को राज्य सरकार द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वापस लिये जाने एवं माननीय

लगातार.....4

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा, राजस्थान कर बोर्ड के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय की पुष्टि कर दिये जाने तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में ही राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय की अनुपालना में सृजित मांग राशि को समाप्त कर दिये जाने से उक्त अपीलें केवल औपचारिकता के तौर पर ही लम्बित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में ही संशोधन कर मांग राशि हटा दी गई है (जिसके संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पत्रावली पर संलग्न है) के अनुसार सृजित मांग राशि समाप्त कर दी गई है, उक्त अपीलों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि हस्तगत अपीलों के संबंध में व्यवहारी को पूर्व में ही अनुतोष प्राप्त हो चुका है।

फलस्वरूप सारहीन होने के कारण प्रस्तुत अपीलें उपरोक्तानुसार निष्पादित की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

23-12-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य